न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 89 / 2022(T.I.)

1. रामगोपाल पुत्र सोमोत्या
2. रत्तीराम पुत्र सोमोत्या
3. नरेन्द्र पुत्र सोमोत्या

समस्त जातियान मीना निवासी उकरूंद तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनी पत्नी कंचन जाति मीना निवासी निवासी उकरूंद तहसील मण्डावर
2. खेलन्ता पुत्री कंचन जाति मीना पत्नी सुमरथ लाल मीना निवासी माचाडी तहसील राजगढ जिला अलवर
3. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर तहसील महवा हाल मण्डावर
4. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैंक शाखा महवा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मण्डावर जिला दौसा
6. उपपंजीयक मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री धर्मसिंह वकील प्रार्थीगण

श्री मुकेश सिंह वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 13 / 04 / 2023

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं. 324 / 0.01, 325 / 0.65, 326 / 0.36, 327 / 0.40, 397 / 0.81, 398 / 1.25, 399 / 0.96, 624 / 0.56, 779 / 0.15 कुल किता 10 रकबा 5.30 है0 वाके ग्राम उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन पुत्र रामकुवांर का 1 / 2 हिस्सा है। कंचन की मृत्यु दिनांक 09.01.2019 को हो गयी जिसके कोई पुत्र संतान नही होने के कारण उसके सारे संस्कार बतौर पुत्र प्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये। क्योंकि मृतक कंचन के एक मात्र पुत्री अप्रार्थी संख्या 2 थी तथा उसके कोई पुत्र सन्तान नही होने के कारण उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी अप्रार्थी

संख्या 1 की पूर्णतया सहमति से प्रार्थी संख्या 1 रामगोपाल को गोद ले लिया तथा रामगोपाल अपने चाचा कंचन के पास ही रहता तथा अप्रार्थी संख्या 1 एवं मृतक कंचन की खुद देखभाल करता तथा अप्रार्थी संख्या 2 का विवाह भी प्रार्थीगण द्वारा ही किया गया था जिसकी शादी आज से करीब 20 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण ने करीब तीन लाख रूपये खर्च किये थे। तथा प्रार्थीगण की दो बहिने भी उसी गावं में थी तथा उनके देवर के ही अप्रार्थी संख्या 2 की शादी की थी जिसमें उस समय मोटरसाईकिल आदि तथा जेवर आदि देकर अच्छी शादी वादीगण द्वारा की थी। मृतक कंचन जो कि रामगोपाल के साथ ही रहता था। तथा उसकी सम्पर्ण जमीन पर कब्जा भी प्रार्थी संख्या 1 का ही था। कंचन पुत्र रामकुवांर की मृत्यु दिनांक 09.01.2019 को हुई तो भी उसके सारे संस्कार गंगाजी लेकर जाना, बारह ब्राहमण करना आदि तथा पगडी भी बंधी थी। सभी कार्यवाही प्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गयी। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 रामगोपाल मृतक कंचन का गोद पुत्र हैं तथा उसकी सम्पत्ति का एक मात्र मालिक है जिससे प्रार्थी संख्या 1 कंचन की वारिस का एक मात्र वारिस एवं मालिक है। जबकि सारे कार्य मृतक कंचन के प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किये गये है। इस बात की सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवासियों को एवं रिस्तेदारों को है। उसके बावजूद भी गैरसायल संख्या 1 व 2 दोनों किसी व्यक्तियों के बहकावे में आकर प्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि से बेदखल करने के आश्य से अपने दोनों के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवा कर उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमादा है। जबकि हिन्दू विधि के अनुसार मीना जाति के उपर हिन्दू विधि लागू नही होने के कारण मृतक कंचन की सम्पत्ति में गैरसायल सख्या 1 व 2 को किसी भी प्रकार से अधिकार हांसिल नही होते हैं। इस कारण मृतक कंचन के हिस्से उक्त विवादित आराजी का एक मात्र मालिक प्रार्थी संख्या 1 है तथा मृतक कंचन की विरासत का नामान्तरण भी प्रार्थी संख्या 1 के नाम खोला जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा इस आशय से गैर सायल संख्या 3 एवं 4 को अवगत कराया लेकिन उन्होने कहा कि आपके पास गोद पत्र की लिखावट नही है। इस कारण हम तुम्हे गोद पुत्र नही मान सकते है। तथा हम तो गैर सायल संख्या 1 व 2 के नाम ही उक्त मृतक का विरासत का नामान्तरण खोलेगें। गैरसायल उक्त भूमि का नियम विरूद्ध नामान्तरण अपने नाम खुलवाने के बाद रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कुचेष्टा में कामयाव हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति उसे किसी भी प्रकार से होना सम्भव नही है। अतः गैरसायल को ताफैसला दावा जर्ये अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वो सायलान के कब्जे काश की आराजी खसरा नं. 324/0.01, 325/0.65, 326/0.36, 327/0.40,

397/0.81, 398/1.25, 399/0.96, 624/0.56, 779/0.15 कुल किता 10 रकबा 5.30 है0 में मृतक कंजन के विरासत का नामान्तरण नियम विरूद्ध नही खुलवायें तथा किसी भी व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल नही करें कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से करावे। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 का पति कंचन जिसकी एकमात्र जीवित विधिक वारिस सन्तान उसकी पुत्री खेलन्ता है जो अप्रार्थी सं. 2 है। अप्रार्थी संख्या 1 के पति मृतक कंचन के जीवित रहते प्रार्थीगण द्वारा कभी कोई देखभाल नही की मृतक कंचन की धर्म पत्नी आज भी जीवित है। अप्रार्थी 2 की शादी भी उसके पिता कंचन द्वारा ही अपने जीवित रहते ही की थी। जिसमें सारा खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन द्वारा ही किया गया था। कंचन की मृत्यु पर सारा किया कर्म एवं संस्कार व उसका खर्चा उसकी पुत्री खेलनता व उसके पति सुमरथ लाल सम्पन्न कराये गये थे। अप्रार्थी संख्या 1 के पति के जीवन काल में कभी भी प्रार्थीगण को गोद नही लिया गया। एव ना ही कभी भी मृतक कंचन द्वारा किसी पंजीयन कार्यालय में जाकर कोई गोद पत्र प्रार्थी नं. 1के नाम रजिस्टर्ड करवाया था। प्रार्थी संख्या 1 की कुदृष्टि हमेशा से ही मृतक कंचन व अप्रार्थी नं. 1 व 2 की आराजी भूमि पर भी प्रार्थी नं. 1 प्रार्थी 2 व 3 के साथ षडयंत्र कर मृतक कंचन की भूमि को हडपना चाहते है। मृतक कंचन द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 19.12.2021 को तहसील कार्यालय में जाकर अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत अपनी एक मात्र विधिक वारिस पुत्री खेलनता के नाम रजिस्टर्ड करवा दी थी। मृतक कंचन की सम्पूर्ण पैतृक आराजी का विरासत का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जाना आवश्यक है। अगर प्रार्थी संख्या 1 अपनी कुचेष्ठा में सफल हो गया तो अप्रार्थी नं. 1 व 2 अपने हक हकूकों से महरूम हो जायेंगे। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपूर्णणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। एवं मृतक कंचन की सम्पूर्ण पैतृक आराजी का विरासत का नामान्तरण विधिक वारिस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीयागण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन पुत्र

रामकुवांर का 1/2 हिस्सा है। कंचन की मृत्यु दिनांक 09.01.2019 को हो गयी जिसके कोई पुत्र संतान नही होने के कारण उसके सारे संस्कार बतौर पुत्र प्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये। प्रार्थी को कंचन द्वारा गोद लिया गया था। जिसका कोई लिखित दस्तावेज नही है। अतः अप्रार्थीयागण को आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। दौराने बहस वकील अप्रार्थीयागण ने कथन किया है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन पुत्र रामकुवांर का 1/2 हिस्सा है। कंचन की मृत्यु दिनांक 09.01.2019 को हो गयी। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ही कंचन के विधिक वारिस है। प्रार्थी को कंचन द्वारा कभी भी गोद नही लिया गया था। अपितु कंचन पुत्र रामकुवांर द्वारा अप्रार्थीया के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.12.2018 को की गयी है। इसलिये विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण का इस भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश होने से खारिज योग्य है।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–73 विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन पुत्र रामकुवांर का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत इस आधार पर किया है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन पुत्र रामकुवांर का 1/2 हिस्सा है। कंचन की मृत्यु दिनांक 09.01.2019 को हो गयी जिसके कोई पुत्र संतान नही होने के कारण उसके सारे संस्कार बतौर पुत्र प्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये। प्रार्थी को कंचन द्वारा गोद लिया गया था। इसलिये प्रार्थीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। परन्तु यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस कथन का पूर्णतः विरोध किया है। प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण मृतक कंचन पुत्र रामकुवंर के विधिक वारिस है। साथ ही साथ अप्रार्थीगण के पक्ष प्रकरण में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.12.2018 को की गयी है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीयागण में निहित है।

02. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–73 विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के पति कंचन पुत्र रामकुवांर का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत गोदनामा के आधार पर किया है। परन्तु इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया

है। अप्रार्थीगण मृतक कंचन पुत्र रामकुवंर के विधिक वारिस है। साथ ही साथ अप्रार्थीगण के पक्ष प्रकरण में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.12.2018 को की गयी है। इसलिए अप्रार्थीगण को विधिक वारिसान होने के बावजूद पाबंद किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण अपने वाद हेतुक के तथ्य को सिद्ध करने में प्रथम दृष्टया असफल रहा है। अगर अप्रार्थीयागण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो यह अनावश्यक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीयागण को होगी।

03. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15/02/2019 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)